

## उत्तराखण्ड ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को 3 महीने के लिये बढ़ाया

### चर्चा में क्यों?

4 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई अशांति और हिसा को देखते हुए राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) को अगले तीन महीने के लिये बढ़ा दिया है।

### प्रमुख बंदि

- राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचवि आनंद वर्धन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वभिन्न असामाजिक तत्त्वों द्वारा प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल होकर राज्य की सुरक्षा को बाधति करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण एनएसए का वसितार कथिा गया है।
- इस अधिनियम के तहत, ज़िलाधिकारियों (डीएम) को **उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति होगी, जो 31 दसिंबर तक अपने-अपने ज़िलों में हिसा का कारण बन सकते हैं** और शांति भंग कर सकते हैं।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस अधिनियम को इसी साल 4 जून को लागू कथिा था।
- ऐसा माना जाता है कि हाल ही में किसान आंदोलन, राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनज़र राजनीतिक पार्टियों की बढ़ती आक्रामकता और कानून व्यवस्था के मुद्दों ने राज्य सरकार को एनएसए का वसितार करने के लिये प्रेरति कथिा।